



क्र0/इ.म./छात्रवृत्ति शाखा/2022/...../

सागर, दिनांक :- 27/05/2022

वर्ष 2021-22 की अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान की नवीन व्यवस्था के संबंध में सूचना

संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार सत्र 2021-22 में स्वीकृत की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि का जो भुगतान किया जाना है, उसमें कुल स्वीकृत राशि में से 40% राशि राज्य शासन व 60% राशि केन्द्र शासन के द्वारा भुगतान किया जावेगा। उपरोक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) सागर म0प्र0 के पत्र क्र./पीएमएस/आ0वि0/2022-23/323, सागर दिनांक, 25/05/2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु जिला स्तर से राज्य शासन द्वारा प्राप्त 40% राशि का भुगतान विद्यार्थियों के खाते में किया जा रहा है, शेष 60% राशि का भुगतान केन्द्र शासन के पीएफएमएस पोर्टल से स्वमेव ही 10 से 15 दिवस के अंदर विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में भुगतान होने की संभावना होगी।

sd
प्राचार्य,
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

पृ. क्र0/इ.म./छात्रवृत्ति शाखा/2022/1169/

सागर, दिनांक :- 27/05/2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास जिला सागर म0प्र0।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, ME/EC/EE/CE/IT, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर की ओर विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से सूचित करने हेतु।
3. प्रभारी छात्र शाखा इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर की ओर विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से सूचित करने हेतु।
4. प्रभारी वेबसाइट की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

h
प्राचार्य,
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)